

पावर हाउस सुभाष सब्जी मार्केट में अतिक्रमण हटाने दूसरे दिन भी हुई कार्यवाही भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पावर हाउस सुभाष फल एवं सब्जी मार्केट में व्यवसायियों द्वारा अतिरिक्त निर्माण किए हुए टीन, शेड, चबूतरा आदि को हटाने आज दूसरे दिन भी कार्यवाही की गई। कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु लॉक डाउन के दौरान पावर हाउस फल एवं सब्जी मार्केट को अन्य स्थलों पर शिफ्ट किया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित कर सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके। जोन आयुक्त जोन क्रमांक 3 महेंद्र पाठक एवं जोन के राजस्व अधिकारी परमेश्वर चंद्राकर की अगुवाई में दुकान के सामने चबूतरा निर्माण कर अतिक्रमण करने वालों पर तोड़फोड़ की कार्यवाही कर सड़क को चौड़ीकरण किया गया, ताकि लोगों के आवाजाही पर सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा सके। दूसरे दिन भी पावर हाउस सुभाष सब्जी एवं फल मार्केट में 07 व्यापारियों द्वारा अतिरिक्त अतिक्रमण के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्यवाही व्यापारियों के सहयोग से की गई जिन स्थानों पर तोड़फोड़ करने जेसीबी नहीं पहुंच सकी वहां कुछ व्यवसायियों ने स्वयं से ही अतिरिक्त निर्माण को हटा लिये। पावर हाउस सुभाष फल एवं सब्जी मार्केट सकरी होने के कारण वहां पर सब्जी एवं फल लेने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ से आने एवं जाने का रास्ता इस मंडी में है परंतु व्यवसायियों द्वारा अतिरिक्त निर्माण किए जाने के कारण बाजार सघन हो गया है जिससे खरीदारी करने आने वाले लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई सब्जी व्यवसायियों द्वारा यहां पर नाली में ही अतिक्रमण तथा दुकान के सामने लकड़ी का पाटा बनाकर व्यवसाय किया जाता है जिससे आने जाने में परेशानी होती है, ऐसे सभी दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाकर मलबे को जप्त करने की कार्यवाही आज जेसीबी के माध्यम से की गई।

जनसम्पर्क अधिकारी

